25

संख्या–1173/XLI-1/2011

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 5 सितम्बर, 2011

विषयः– **तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या–350/1993, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या–83–ए/प्रा0शि0/2004 दिनांक 25.02.2004 द्वारा राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के शुल्क निर्धारण हेतु शुल्क ढांचा समिति का गठन किया गया है। जिसके द्वारा समय–समय पर राज्य में स्थित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण शुल्क निर्धारित किये गये हैं। शुल्क ढांचा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का तात्पर्य सभी शुल्कों से है। उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त प्रवेशित छात्रों से मात्र छात्रावास तथा मैस शुल्क एवं परीक्षा शुल्क ही लिया जा सकता है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों द्वारा बुक बैंक, इंटरनेट इत्यादि के नाम पर शुल्क ढ़ांचा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि प्रवेशित छात्रों से वसूल की जा रही है। जो कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है। जिसके अन्तर्गत सम्बद्वता समाप्त किये जाने अथवा न्यूनतम रू0 10 लाख का दण्ड अधिरोपित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को प्रश्नगत शासनादेश की प्रति भेजते हुये अपने स्तर से कड़े निर्देश निर्गत करने एवं

कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत शासनादेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया जाये।

4– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शुल्क ढ़ांचा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तकनीकी शिक्षण संस्थान के विरूद्व उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(आर.के. सुधांशु)
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)।

संख्या एवं दिनांक – उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा, मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
6. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।